AMAR UJALA (MY CITY), Lucknow, 9.3.2018
Page No. 6, Size:(29.24)cms X (16.88)cms.

आधार नंबर से पकड़ा फर्जी पंजीयन करा कृषि कार्यों की सब्सिडी हड़पने का खेल

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। आधार नंबर के सहारे सब्सिडी पाने में जोड़तोड़ का खेल उजागर हुआ है। जिला प्रशासन ने गड़बड़ी पता चलने के बाद 2300 पंजीकरण रद्द कर जांच के निर्देश दिए हैं। जालसाजों ने बड़े पैमाने पर फर्जी पंजीयन करवाने के बाद कृषि कार्यों की सब्सिडी हड़पने का खेल किया। सरकारी अनुदान की निगरानी करने में आधार लिंकअप के बेहतर नतीजे आए हैं।

कृषि विभाग की जिला इकाई में नाम, पता और खसरा खतौनी का नंबर बदलकर कृषि कार्यों के लिए मिलने वाली सब्सिडी राशि का अनुदान हड़पने की जोड़ तोड़ का खेल पकड़ में आया है। प्रशासन ने आधार नंबर से पकड़ में आए अनुदान हड़पने की कोशिश के मामले को गंभीरता से लिया है। विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर 2300 पंजीकरण आवेदन निरस्त कर जांच के निर्देश दिए हैं। डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना के तहत दोबारा पंजीकरण कराने वाले वाले ऐसे धंधेबाजों की करतूत आधार डाटा के मिलान के दौरान पकड़ में आई। इसके तहत नाम पता बदलकर एक ही आधार नंबर से अनुदान पाने को पंजीकरण कराए गए। ताकि अलग से दर्ज नाम व पते के साथ आधार नंबर जोड़कर दोबारा अनुदान राशि हड़पी जा सके।

2300
पंजीकरण रद्द

जांच के निर्देश, सरकारी अनुदान की निगरानी में आधार लिंकअप के बेहतर नतीजे आए सामने

एक ही आधार नंबर पर कई आवेदन

जिला कृषि अधिकारी ओपी मिश्र ने बताया कि कल्याणकारी योजनाओं का सौ फीसदी लाभ वास्तविक लोगों को मिले इसके लिए पंजीकरण नंबर को आधार कार्ड से लिंकअप कराया गया। इसकी पड़ताल के दौरान ही जोड़-तोड़ से अनुदान पाने को ऐसे भी पंजीकरण मिले, जिसमें नाम पता अलग-अलग दर्ज होने के बावजूद आधार नंबर एक था। गड़बड़ी की आशंका पर ऐसे 2300 पंजीयन निरस्त किए गए। किसानों का आधार नंबर उनके पंजीकरण नंबर से लिंक कराने की प्रक्रिया के दौरान ही कई मामले सामने आने लगे थे। इनमें एक ही व्यक्ति ने अलग-अलग नाम और पते के साथ खतौनी नंबर बदलकर एक आधार नंबर पर दो-दो बार पंजीकरण कराया था।

किसानों को 90 फीसदी तक अनुदान

कृषि विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित करता है। इनका लाभ लेने वाले किसानों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण कराने वालों को ही डीबीटी के जरिए अनुदान का लाभ दिया जाता है। कृषि विभाग की योजनाओं में कई ऐसी भी होती हैं, जिनमें तीन वर्ष में एक ही बार लाभ मिल सकता है। हालांकि कृषि रक्षा विभाग में कीटनाशक, कृषि रक्षा संयंत्र योजनाओं के लिए हर साल या तीन साल में अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। इसके तहत किसानों को आवेदन के तहत आधार नंबर लिंकअप खाते में 90 फीसदी तक अनुदान मिलता है।

वेबसाइट पर पंजीकरण कराने में खेल

अनुदान पाने में सेंधमारी कर कुछ लोगों ने जोड़ तोड़ से हर साल या एक ही योजना का कई बार लाभ लिया। ऐसे लोगों ने कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराने में ही खेल किया। ऐसे लोगों ने नाम, पता और खतौनी का नंबर बदलकर डीबीटी योजना के तहत दो या उससे अधिक ऑनलाइन पंजीकरण कराए। ऐसा करने से वह अलग-अलग नाम से एक ही योजना का हर साल या कई बार लाभ ले सकने की स्थिति में आ गए।